



The Bihar Hindu Religious Trust (Amendment) Act, 2013

Act 4 of 2013

Keyword(s):

Trust, Religious Trust

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 वैशाख 1935 (श0)
(सं0 पटना 333) पटना, शुक्रवार, 3 मई 2013

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

3 मई 2013

सं0 एल0जी0-1-16/2013/लेज: 77—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 अप्रील, 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2013

[बिहार अधिनियम 4, 2013]

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम-1, 1951) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**-(1) यह अधिनियम बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम-1, 1951 की धारा-7 का संशोधन।**-बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम-1, 1951) (इसमें आगे "उक्त अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-7 विलोपित की जायेगी।

3. **बिहार अधिनियम-1, 1951 की धारा-8 का संशोधन।**-उक्त अधिनियम में धारा-8 की उप-धारा (2), (4) एवं (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“(2) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्वद् के सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होगा, राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के निम्नलिखित कोटियों से, इस प्रकार नियुक्त किये जायेंगे कि उक्त कोटियों के प्रत्येक से कम से कम एक व्यक्ति, लेकिन दो से अधिक नहीं, नियुक्त किया जा सकेगा,

(क) बिहार राज्य विधान मंडल/ संसद सदस्य/ नगरपालिका/त्रिस्तरीय पंचायत के श्वेताम्बर जैन समाज के निर्वाचित सदस्य;

(ख) श्वेताम्बर जैन समाज के बिहार सेवा (कार्यपालिका या न्यायिक सेवा या अन्य राजपत्रित सेवा) के सदस्य हैं या रह चुके हैं, अथवा उच्च न्यायिक सेवा या अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हैं, या रह चुके हैं;

(ग) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास के न्यासी;

(घ) श्वेताम्बर जैन धर्म में प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति जिसको प्रबन्धन-नियंत्रण में अभिरूचि हो और ख्याति प्राप्त श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास के प्रबन्धन का अनुभव हो;

(ङ) श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास विधि के संव्यवहारार्थ अनुभव के लिए प्रसिद्ध राज्य के अधिवक्ता,

(च) श्वेताम्बर जैन धर्म समाज के ख्याति प्राप्त राज्य के व्यवसायी, जो धर्म में रूचि रखते हों; और

(छ) श्वेताम्बर जैन धर्म के बिहार राज्य के लब्धप्रसिद्ध विद्वान।

(4) राज्य सरकार यथास्थिति, उप-धारा(1), (2) या (3) के अधीन नियुक्त किये गये सदस्यों में से एक को उस पर्वद् का अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

(5) प्रत्येक पर्वद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल इस अधिनियम की धारा-12 के अधधीन शासकीय गजट में उनके नाम के प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष का होगा, और इसके अन्तर्गत वह अधिक अवधि भी आएगी जो उक्त पाँच वर्ष की समाप्ति और अगले अनुवर्ती पर्वद् की उस पहली बैठक, जिसमें गणपूर्ति मौजूद रहेगी, की तारीख के बीच व्यतीत होगी।”

4. **बिहार अधिनियम 1, 1951 की धारा-8क का प्रतिस्थापन।**-उक्त अधिनियम की धारा-8क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“8क- प्रशासक की नियुक्ति।- जब पर्वद् अधिक्रान्त हो या पर्वद् के कार्यकाल समाप्त होने तथा धारा-8 के अधधीन नई पर्वद् के गठन किये जाने तक, पर्वद् की सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए सरकार एक प्रशासक नियुक्त करेगी।”

5. **बिहार अधिनियम 1, 1951 की धारा-11 का विलोपन।**— उक्त अधिनियम की धारा-11 में अंक और कोष्ठ तथा शब्द “(1), (2) या ” विलोपित किये जायेंगे।

6. **बिहार अधिनियम 1, 1951 की धारा-80 का संशोधन।**— उक्त अधिनियम की धारा-80 की उप-धारा-(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा;—

“(2) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेश नहीं दे तब तक उप-धारा (1) के अधीन की गई घोषणा के फलस्वरूप पद त्याग करने वाले पर्वद्-सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए अनर्हक समझे जायेंगे।”

7. **बिहार अधिनियम 1, 1951 की धारा-81क, का संशोधन।**—उक्त अधिनियम की धारा-81क के खंड “(ग)” निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा; यथा—

“(ग) जहाँ न्यायालय के आदेश से पर्वद् का गठन अवैध घोषित किया गया हो, प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी, और इस अधिनियम के अधीन प्रशासक की नियुक्ति, पर्वद् का पुनर्गठन के लिए आदेश की तिथि से अधिनियम की धारा-8 के अधीन 48 महीनों की अवधि के भीतर की जायेगी।”

8. **बिहार अधिनियम 1, 1951 की धारा-82 का संशोधन।**— उक्त अधिनियम की धारा-82 की उप-धारा (2) के बाद नई उप-धारा (3) निम्नलिखित रूप में जोड़ी जायेगी; यथा—

“(3) इस अधिनियम के अध्याधीन बनायी गई नियमावली एवं उपविधियाँ बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधानमंडल के समक्ष जब यह चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र अथवा दो या दो से अधिक अनुवर्ती सत्रों में हो सकेगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

3 मई 2013

सं0 एल0जी0-1-16/2013/78/लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2013 को अनुमत बिहार हिन्दू धार्मिक (संशोधन) अधिनियम, 2013 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

THE BIHAR HINDU RELIGIOUS TRUST (AMENDMENT) ACT, 2013

[Bihar Act 4, 2013]

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR HINDU RELIGIOUS TRUST ACT, 1951

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in Sixtyfourth year of the Republic of India follows :-

1. **Short title, Extent and commencement .**— (1) This Act may be Called the Bihar Hindu Religious Trust (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Amendment in Section-7 of the Bihar Act, 1 of 1951.-** In the Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 (Bihar Act-1 of 1951) (herein after referred as the said Act) section-7 shall be deleted.
3. **Amendment in Section-8 of the Bihar Act, 1 of 1951.-** In the said Act in Section-8 of sub-section (2), (4) and (5) shall be substituted by the following; namely-
- “ (2) The members of the Bihar State Board of the Swetamber Jain Religious Trust Including president shall be appointed by the State Government by notification in the official Gazette from the following Categories of persons in such manner that at least one person but not more than two from each of the said categories, shall be included.
- (a) Elected member of the State Legislature/Parliament/Municipality/ three tier Panchayat belonging to Swetamber Jain Society.
- (b) Persons, who are or have been a member of Bihar Service (Executive or Judiciary or any other Superior Service) or a member of Superior Judicial Service or All India Service.
- (c) Trustee of Swetamber Jain Religious trust registered under this Act.
- (d) Persons having interest in management, control and experience of managing Swetamber Jain Religious Trust of Repute and known for their commitments for the Swetamber Jain Religion.
- (e) Advocates of the State known for their experience in dealing with Swetamber Jain Trust Laws.
- (f) Traders of repute from Swetamber Jain Religion of the State.
- (g) Renowned Scholars of Swetamber Jain Religion from the State of Bihar.
- (4) The State Government shall appoint one from amongst the members appointed under sub-section (1), (2) or (3), as the case may be, the president of the Board.
- (5) The term of the office of the President and members of every Board shall, save as otherwise provided in the Act, be five years from the date of the Publication of their names in the official Gazette under Section 12 of this Act and shall include any further period which may elapse between expiration of the said five years and the date of the first meeting of the next succeeding Board at which a quorum is present.”
4. **Substitution of Section 8A of the Bihar Act 1 of 1951.-** in the said Act Section 8A shall be substituted by the following namely-
- “8A. Appointment of Administrator.- The Government shall appoint an Administrator to exercise all the powers of the Board when the Board is superseded

- or after the lapse of the terms of the Board and till the new Board under Section-8 is constituted”
5. **Deletion of Section-11 of the Bihar Act, 1 of 1951.-** In the said Act in Section-11 number and bracket and word "(1), (2) or " shall be deleted.
6. **Amendment in Section 80 of the Bihar Act, 1 of 1951.-** In the said Act sub-section (2) of section-80 shall be substituted by the following, namely-
“(2) The members of the Board who vacate office by reason of a declaration made under sub-section (1) shall be deemed disqualified, unless the State Government otherwise direct, for re-appointment.”
7. **Amendment in Section 81A of the Bihar Act, 1 of 1951.-** In the said Act clause (c) of section-81A shall be substituted by the following, namely-
“(c) where the constitution of the Board has been declared illegal by the court, an Administrator shall be appointed, and appointment of Administrator under this Act, shall be made for the purpose of reconstituting the Board under section 8 of the Act, within a period of 48 months from the date of the order.”
8. **Amendment in Section-82 of the Bihar Act, 1 of 1951.-** In the said Act after sub-section (2) of section-82 a new sub-section (3) shall be added by the following namely-
“(3) Rules and by-laws made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the legislature, while it is in Session for a total period of fourteen days. This period may be comprised in one session or in two or more successive sessions.”

By order of the Governor of Bihar,

VINOD KUMAR SINHA,

Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 333-571+400-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>